राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 9594/2018

भेरू दास वैष्णव पुत्र श्री नाथू दास जी, आयु लगभग 60 वर्ष, ग्राम -धारियावाड़, उदयपुर (राज)---याचिकाकर्ता

बनाम

1. सचिव, राजस्थान राज्य, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, जयपुर (राजस्थान)

3. मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर (राजस्थान)

4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीएच. सी., मावली, उदयपुर (राजस्थान)

5. राजस्थान सरकार, निदेशालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, जयपुर, राजस्थान

6. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, उदयपुर (राज)---- उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) के लिएः-श्री एन. एम. व्यास

प्रतिवादी (ओं) के लिए:- सुश्री वंदना भंसाली के लिए श्री गौरव रांका

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश

30/01/2024

1. भेरू दास वैष्णव, एक पेंशनभोगी, जो एक चालक के रूप में सेवानिवृत्त हो चुका है, इस न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं की कार्रवाई और निर्देशों के खिलाफ व्यथित है, विशेष रूप से, दिनांक 23.11.2017 (अनुलग्नक 3) के आक्षेपित आदेश के खिलाफ, जिसमें उसके सेवानिवृत्त लाभों से रु. 1,98,562 की राशि बरामद की गई थी।

2. प्रासंगिक तथ्यों को पहले, अनावश्यक विवरणों से अलग करें।

2.1. याचिकाकर्ता को शुरू में 25.02.1978 को सिंचाई विभाग में सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उन्हें वर्ष 2000 में एक चालक के रूप में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में फिर से नियुक्त किया गया। आखिरकार वे 31.10.2017 को चालक के पद से सेवानिवृत्त हो गए।

2.2. याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद, 27.03.2017 को एक नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया गया था, जो पुष्टि करता है कि उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक जांच लंबित नहीं थी और किसी भी विभागीय नियमों के तहत कोई बकाया राशि नहीं थी।

2.3. इस प्रकार उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता की पेंशन फाइल तैयार की और सभी बकाया और पेंशन अधिकारों का वितरण किया। हालाँकि, उनकी पीड़ा के लिए, 23.11.2017 को उनके ग्रेच्युटी भुगतान आदेश (जी. पी. ओ.) की तैयारी के दौरान, उत्तरदाताओं ने उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना अपनी ग्रेच्युटी से गैरकानूनी रूप से ₹ 1,98,562 की राशि काट ली।

2.4. याचिकाकर्ता द्वारा अपने वकील के माध्यम से 27.03.2018 को भेजे गए कानूनी नोटिस के बावजूद, सभी प्रासंगिक विवरण प्रदान करने के बावजूद, उत्तरदाताओं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसलिए, यह रिट याचिका दाखिल कर दी गई।

3. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में मैंने प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुना है जो संबंधित दलीलों के अनुरूप हैं।

4. शुरुआत में, एक अदालती प्रश्न पर, यह स्थिति स्वीकार की जाती है कि याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से या गुप्त रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था, जिसके कारण उसके वेतन के गलत निर्धारण के माध्यम से अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किया गया था। विभाग अपने दम पर गलती करने के बाद, याचिकाकर्ता, एक तृतीय श्रेणी के कर्मचारी, को आकस्मिक रूप में वसूली करके प्रतिकूल परिणामों के लिए नहीं मोड़ सकता है।

4. इस आधार पर, पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) और अन्य, (2015) 4 एस. सी. सी. 334, में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में: -जिसके साथ याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से कवर किया गया है, विवादित वसूली आदेश दिनांकित 23.11.2017 (अनुलग्नक 3) धारणीय नहीं है और तदनुसार बाद के परिणामों के साथ अलग रखा गया है।

5. यह स्पष्ट करता है कि याचिका कार्रवाई के दो कारणों को जोड़कर दायर की गई है अर्थात एक वसूली है और दूसरा उसकी

वरिष्ठता की शिकायत है।

6. मैं पहले से ही पुनर्प्राप्ति भाग के रूप में ऊपर की राय दे चुका हूँ। वरिष्ठता पक्ष में, याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक व्यापक मामला बनाते हुए एक नया अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है और इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा और उस पर निर्णय, किसी भी तरह से, कानून के अनुसार, जितनी जल्दी हो सके, एक प्रशासनिक आदेश पारित करके दिया जाएगा।

7. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।